COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10
COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

73

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2014 R-3929-I/14

हीरानन्द पुत्र श्री प्रीतम दास, निवासी–ए.डी. एम. लाईन, माधव नगर, कटनी, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.) ——आवेदक

विनोद भार्गव 26-11-14

26-11-14

विरूद्ध

1. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर कटनी, जिला कटनी
2. गैती पुत्र शिवनाकी, निवासी–ग्राम पडरवारा, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

——अनावेदकगण

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 26-11-2014

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24/03/2014 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, विवादित भूमि आवेदक ने भूमि के दृशयमान भूमि स्वामी से विधिवत् रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तदानुसार राजस्व अभिलेख में नामांतरण हो गया था जिसे किसी ने कहीं कोई चुनौती नहीं दी और वह अंतिम हो गया।
3. यह कि, आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि राजस्व अभिलेख में विक्रय से वर्जित होना अंकित नहीं थी ऐसी स्थिति में आवेदक सद्भाविक

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

s-Id

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3929–एक/2014 जिला–कटनी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–9–17	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री राजीव गौतम उपस्थित। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24–03–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर कटनी का आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल है। विवादित भूमि आवेदक ने भूमि के दृशयमान भूमिस्वामी से विधिवत रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वरा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तदानुसार राजस्व अभिलेख में नामांतरण हो गया था, जिसे किसी ने कहीं कोई चुनौती नहीं दी और वह अंमि हो गया है। आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि राजस्व अभिलेख में विक्रय से वर्जित होना अंकित नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवेदक सद्भाविक क्रेता द्वारा क्रय की गई। उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को शासकीय भूमि घोषित नहीं किया जा सकता था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय	

द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान न देते हुये जो आदेश पारित किया है वह विधि के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक शासन के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है।

5/ उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम परड़वारा पटवारी हल्का नं0 44 रा0नि0मं0 पहाड़ी तहसील व जिला–कटनी के पटवारी द्वारा मिसल बन्दोबस्त 1987–88 की प्रति के साथ शासकीय पट्टेदारों की मिसल बन्दोबस्त के आधार पर सूची पेश की, जिसमें ग्राम पड़रवारा पटवारी हल्का नं0 44 स्थित खसरा नं0 521 रकबा 0.40 है0 भूमि बन्दोबस्त अभिलेख के अनुसार अनावेदक क्र0 2 गैती वल्द शिवनाथी के नाम शासकीय पट्टेदार के रूप में दर्ज है। वर्तमान अभिलेख में उक्त शासकीय पट्टे की भूमि खसरा नं0 521 रकबा 0.40 है0 आवेदक हीरानंद वल्द श्री प्रीतमदास के नाम दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त अभिलेख के अनुसार शासकीय पट्टे की भूमि अहस्तातणीय थी। अनावेदक क्र0 2 द्वारा उक्त भूमि क्रय–विक्रय के संबंध में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 सहपठित धारा 7ख के तहत किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने संबंधी कोई आदेश/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6/ मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 165 सहपठित धारा 7ख के तहत पट्टे की भूमि अन्तंरण हेतु कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं ली गई है। पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने एवं संहिता की धारा 165 सहपठित धारा 7ख के प्रावधानों का उल्लंघन में यह संव्यवहार किया जाना प्रामणित होता है।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 सहपठित धारा 7 ख का उल्लंघन तथा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। इसी कारणवश अपर कलेक्टर कटनी ने ग्राम पड़रवारा पटवारी हल्का नं0 44 रा0नि0मं0 पहाड़ी स्थित खसरा नं0 521 रकबा 0.40 है0 भूमि मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में शासकीय घोषित किये जाने का आदेश पारित किया है। मेरे मतानुसार अपर कलेक्टर ने सही निर्णय लिया है जो कि न्यायासंगत है। मैं अपर कलेक्टर कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2014 से सहमत हूँ।

8/ फलस्वरूप आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। अभिलेख वापस हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य